अविनशमन सेवा मुख्यालय, झारखाण्ड, राँची।

दिनांक-02वीं अप्रैल 2022

सेवा में.

NML KERALA PUBLIC SCHOOL DIRECTOR,

(DR. SHRIKANT NAIR), NML, KERALA PUBLIC SCHOOL, BHUIADIH, AGRICO, NEAR LITTI , CHOWEK , JAMSHEDPUR.

बिषय:— मौजा—Bara, (Bhuiadih), प्लाट नं0—166 (p) & 361 (p), खाता न0—52, वार्ड नं0—11, थाना—सिद्धगोरा—341, जिला—पश्चिमी सिंहभूम में निर्मित NML Kerala Public School, Bhuiadih Agrico स्कूल भवनों हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन—लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित स्कूल भवनों के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक—243 दिनांक—02.04.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :—

- 1. निर्मित स्कूल भवनों के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
- 2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ—आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
- 3. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवनों में कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
- 4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवनों के सभी स्टेयरकेश में वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
- 5. स्कूल भवनों के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें एक लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक—एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
- 6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में $1620\,\mathrm{Lpm}$ क्षमता का फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
- 7. 9000ली० / मि० क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
- 8. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
- 9. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
- 10. सीढियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
- 11. स्कूल परिसर में दो फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg 04 Nos.
 - ii. Fire Bucket 04 Nos.
 - iii. Water CO2 Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
- 12. स्कूल भवनों में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
- 13. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रों को सतही तल पर बैटाये जाने की व्यवस्था की जाय।
- 14. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
- 15. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
- 16. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 केंंoजीo क्षमता का चार अदद CO₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
- 17. स्कूल भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
- 18. स्कूल भवनों में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
- 19. स्कूल भवनों के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, ऑडिटोरियम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी में 4.5 के०जी० क्षमता का दो-दो अदद Co Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।

- 20. स्कूल भवनों में ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
- 21. स्कूल भवनों के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
- 22. स्कूल भवनों के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
- 23. स्कूल भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
- 24. स्कूल भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
- 25. अग्नि—सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
- 26. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6618ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7,
postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70,
cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022 04.021328934 + 051201

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची।